न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं.:— 138/2016

मानसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी हथैनी तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र भजनलाल
2. श्रीमति मीना पत्नि स्व0 श्यामसिंह पुत्र भजनलाल
3. सोनू | पिसरान स्व0 श्यामसिंह पुत्र भजनलाल
4. पवन | नावालिगान जरिऐ प्राकृतिक संरक्षक श्रीमति मीना वेवा श्यामसिंह माता खुद
5. श्रीमति रामवती पत्नि स्व0 विजयसिंह पुत्र स्व0 भजनलाल
6. देवेन्द्र |
7. बीरेन्द्र | पिसरान स्व0 विजयसिंह पुत्र स्व0 भजनलाल
8. रवेन्द्र |
9. राजवीरसिंह पुत्र महाराजसिंह
10. कृष्णवीर | पुत्र स्व0 उदयवीसिंह
11. सीमा | पुत्री स्व0 उदयवीसिंह
12. शशि | पुत्री स्व0 उदयवीसिंह
13. राजवीरी | पत्नि स्व0 उदयवीसिंह
14. जगदीश | पुत्र रामगोपाल
15. महतावी | पुत्री रामगोपाल
16. विमला देवी | पत्नि स्व0 सियाराम
17. सुनील | पुत्र स्व0 सियाराम
18. अनिल | पुत्र स्व0 सियाराम
19. अशोक | पुत्र स्व0 सियाराम
20. सुशील | पुत्र स्व0 सियारा

सभी जाति जाट निवासी हथैनी तहसील व जिला भतरपुर।

21. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर व हैसियत लैण्ड होल्डर

.....अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांकः—08.02..2018

प्रार्थीगण ने अपने राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि बांके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर स्थित हाल आ.ख.न. 533/0.13, 534/0.15, 535/0.27, 536/0.01, 537/0.12, 538/0.07, 539/0.10, 540/0.14, 541/0.25, 576/0.20, 577/0.11, 581/0.14 किता 12 रकवा 1.69 हैक्टेयर वाके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर जो जमाबंदी सम्बत 2067 लगायत 2070 का खाता संख्या 239 दर्ज है उक्त खसरा नम्बर साविक खसरा नम्बर 484/1.02, 485/1.05, 486/1.16, 482मिन/0.16, 483/0.10, 480/0.13, 481/0.15, 487/1.12, 488/1.02, 479/0.15, 489/0.18 से निर्मित हुऐ है। तथा हाल वन्दोवस्ती खाता संख्या 50 जमाबंदी सम्बत 2067 लगायत 2070 में खसरा नम्बर 578/0.12, 579/0.18, 580/0.12 किता 3 रकवा 0.42 हैक्टेयर वाके ग्राम हथैनी तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जोकि साविक खसरा नम्बर 478/0.17, 477/1.00, 476/1.01 से निर्मित हुऐ है। उक्त सभी नम्बरान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार राजस्व अभिलेखों में खातेदार दर्ज है।

विवादित आराजी दर्ज चरण संख्या 2 वाद पत्र में खसरा नम्बर 533 में 0.04 ऐयर, 534 में 0.05 ऐयर, 534 में 0.02 ऐयर, 588 में 0.01 ऐयर, 577 में 0.01 ऐयर, 578 में 0.01 ऐयर एवं खसरा नम्बर 580 में 0. 05 ऐयर कुल रकवा 0.19 हेक्टेयर भूमि साविक के मुकाबले राजस्व अभिलेखों में कम दर्ज की गई है जबकि मौके पर साविक के अनुसार मौजूद है अतः भू प्रबन्ध विभाग को साविक के मुकवाले नया खसरा नम्बर में कम भूमि देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

व वादी उकत खसरा नम्बर में साविक के अनुसार दुरूस्ती कराया जाकर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती कराते हुऐ पक्षकारों को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने मौके पर मनवट कर रखा है व काश्त कर रहे हैं व अपने अपने काबिज हिस्सों में कृषि कार्य हेतु फसलों के एवं कृषि यंत्रों आदि को काम लेने तथा गैत वाडे व रिहायश के काम में भी ले रहे हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी खातेदारी शामिल चल रही है। बडा परिवार होने के कारण कभी कभी जोतने बोने एवं लगान पर आपस में तनाजा हो जाता है। अतः उक्त शामिल खातों को अलग अलग करते हुऐ मौके पर जो मनवट कर रखे हैं। उसी अनुसार उनके हिस्सों के अनुसार विभाजन करते हुऐ अलग अलग नियमानुसार मीटस एण्ड वाउण्डस से कुरे कामय करते हुऐ सभी को काबिज किया जावे एवे अलग खाते कामय किए जाकार लगान कायम किया जाना आवश्यक हो गया है। यही कारण है कि दावा लाना लाजिमी हुआ है।

दिनांक 21.10.2016 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से विभाजन के लिए कहा तो उन्होने विभाजन कराने से इनकार कर दिया व प्राथी को उसके मनवट के हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी यादि ऐसा हुआ तो प्रार्थी को एक अजीम नुकसान होगा जो जरे नकद हांसिल न हो सकेगा। अतः प्रार्थी अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञ से इस कदर पाबंद किया जावे कि विवादित आराजियात में प्रार्थी के कब्जें काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें एवं रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में जमाबंदी सम्बत् 2031–2034, 2067–2070, 2071–2074 एवं मिलान क्षेत्रफल की नकलें पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जारिये नोटिस किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 20 जारिये अभिभाषक उपस्थित आयें और अपना जवाब पेश किया। जो संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या16 लगायत 20 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वार्णित तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। विवेचन बिन्दु वाइज निम्न प्रकार है।

1. **<u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः—</u>** प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी उभय पक्षकरान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का वैधानिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। किन्तु मनवट के आधार पर दोनों पक्ष काबिज होकर काश्त कर रहें है तथा अपने अपने काबिज हिस्सों में कृषि कार्य हेतु फसलों के एवं कृषि यंत्रों आदि को काम लेने तथा गैत वाड़े व रिहायस के उपयोग में ले रहे है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी खातेदारी शमिल में चल रही है।

यही तथ्य अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किये है कि विवादित के विवादित आराजी में से सभी खातेदारान मनवट के अनुसार काश्त करतें चले आ रहें है। मगर गांव के नजदीक जो भूमि है। उसका मनवट सही नही हो रहा है। खातासंख्या 239 एवं खातासंख्या 50 में अंकित भूमि आवादी एवं सड़क से लगी हुई है। जिस पर हिस्सेदारान के मध्य आपसी मनवट को लेकर तनाजा है। जिसका बटवारा मुताबिक कानून व नियमानुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने खसरा नम्बर 533 में 0.04 हैक्टर, 534 में 0.05 हैक्टर, 534 में 0.02 हैक्टर, 588 में 0.01 हैक्टर, 577 में 0.01 हैक्टर, 578 में 0.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 580 में 0.05 हैक्टर रकवा सविक के मुकाबले राजस्व अभिलेंख में बन्दोवस्त विभाग द्वारा कम कर दिया जाना बताया है। जिसकी पूर्ति भी चाही गयी है।

किन्तु यहा पर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का निस्तारण किया जा रहा है। कम रकवें की पूर्ति बावत् तो मूल दावा के निस्तारण के समय दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही विचारणीय है। प्रार्थी का मूल दावा घोषणातम होने के साथ—साथ विभाजन का भी है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार कृषिक है। अभी आराजी मुतनाजा का विधिवत कानून विभाजन नहीं हुआ है। दोनो पक्ष आपसी मनवट के आधार पर ही काबिज होकर काश्त कर रहें है। जब तक आराजी का नियमानुसार विभाजन नहीं हो जाता तब तक आराजी की प्रत्येंक इंच भूमि पर सभी सह कृषक अपने—अपने हिस्सानुसार हिस्सेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रहेगें। इस कारण एक अभिलिखित खातेदारों को आस्थाई निषेधाज्ञ से पाबंद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में प्रमाणित होना प्रतीत नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** वाद ग्रस्त आराजी उभयपक्ष करान की संयुक्त आराजी है। खाता संख्या 239 एवं 50 में अंकित भूमि आवादी एवं सड़क से लगी हुई है। जिसकी बाजार प्रचलित दर अन्य भूमि से अधिक होना सम्भावित है। ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों में मनवट को लेकर आपसी विवाद भी होना प्रतीत होता है। जिसका अभी नियमानुसार विभाजन नहीं हुआ है। अतः जब तक वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं हो जता तब तक प्रार्थी की अपेक्षा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक होना प्रतीत होता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति :—** वाद ग्रस्त आराजी उभयपक्ष मनवट से काबिज होकर काश्त कर रहे है। यदि दौराने दावा प्रार्थी द्वारा अपने मनवट के रकवे को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थी की अपेक्षा अन्य सह खातेदारों को क्षति अधिक होगी। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

चूंकि उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को लिखा जाक कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर